

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	By direct recruitment	Not applicable	<p>Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Chairman - Officer of the rank of Commander</p> <p>(2) Members - Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Lieutenant or equivalent (one departmental and one unconnected with the department)</p>	Not applicable

[F. No. CP (NG)/2806/COY/GP-C/RR/ 207 /D/Apptts/2017]

ANIL KUMAR, Dy. Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का.नि.आ. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रशासनिक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रशासनिक समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,-
 1. नियम 3 में, शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
 2. अनुसूची में,-
 - (क) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I पद के सामने,-
 - (i) स्तम्भ (4) में,-
 - (क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
 - (ख) स्तम्भ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियाँ "स्तर-11" रखी जाएंगी
 - (ii) स्तम्भ (11) के अधीन-
 - (क) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन प्रविष्टि "वेतन बैंड-3, (रु. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 5400 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)" रखे जाएंगे;

- (ख) उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति" के अंतर्गत शब्दों "वेतन बैंड-3, (रु. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 5400 रु." के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10" रखे जाएंगे;
- (ख) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 पद के सामने,-
- (i) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)" रखी जाएंगी
- (ii) स्तम्भ (11) के अधीन,-
- (क) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन प्रविष्टियों "वेतन बैंड-2, (रु. 9300-34800) और ग्रेड वेतन 4600 रु." के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)" रखी जाएगी
- (ख) उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति" के अंतर्गत शब्दों "वेतन बैंड-2, (रु. 9300-34800) और ग्रेड वेतन 4800 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8" रखे जाएंगे;
- (ग) प्रशासनिक अधिकारी पद के सामने,-
- (i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(रु. 44900-142400)" रखी जाएंगी:-
- (ii) स्तम्भ (11) के अधीन,-
- (क) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन प्रविष्टियों "वेतन बैंड-2, और ग्रेड वेतन 4600 रु." के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(रु. 44900-142400)" रखी जाएगी
- (ख) उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति" के अधीन प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, (रु. 9300-34800) और ग्रेड वेतन 4200 रु." के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 रखी जाएगी
- (घ) ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक
- (i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान, पर प्रविष्टियां वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 रखी जाएंगी
- (ii) स्तम्भ (11) के अधीन,-
- (क) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, (रु. 5200-20200) और ग्रेड वेतन 2400 रु." के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(रु. 25500-81100) रखे जाएंगे;
- (ख) उप-शीर्षक "सीमित विभागीय प्रोन्नति परीक्षा" के अधीन शब्दों "वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु. + या ग्रेड वेतन 2400 रु." के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 रखे जाएंगे;

[फा. सं. मासंविनि/16342/आर.आर./प्रशासन काडर/सी/पी/02/814/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 का.नि.आ. 97 तारीख 22 अक्टूबर 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department Of Defence Research And Development)

New Delhi, the 12th May, 2017

S.R.O. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012,-

(1) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band and grade pay/scale of pay" the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

2. in the Schedule,-

(a) against the post of **Senior Administrative Officer Grade-I**,—

(i) in column (4),-

(A) for the heading, the heading "Level in the pay matrix" shall be substituted;

(B) for the entries under column (4), the entries "level-11 (Rs.67700-208700)" shall be substituted;

(ii) under column (11)—

(A) under the sub-heading 'Promotion', for the entries "in the scale of Rs.15600-39100 plus Grade pay of Rs. 5400 in PB-3", the entries "in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading 'Deputation', for the entries "in the scale of pay of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3", the entries "in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) against the post of **Senior Administrative Officer Grade-II**,-

(i) under column (4), for the entries, the entries "Level-10 (Rs.56100-177500) shall be substituted;

(ii) under column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion', for the entries "in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs 4600 in PB-2", the entries "in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading 'Deputation', for the entries "in the pay of scale of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs 4800 in PB-2", the entries "in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) Against the post of **Administrative Officer**,

(i) under column (4), for the entries, the entries "Level-7 (Rs.44900-142400)" shall be substituted;

(ii) under column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion', for the entries "in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2", the entries "in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) under the sub-heading 'Deputation', for the entries "in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 in PB-2", the entries "in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted;

(d) Against the post of **Senior Administrative Assistant**,-

(i) under column (4), for the entries, the entries "Level-6 (Rs.35400-112400)" shall be substituted;

(ii) under column (11),—

(A) under the sub-heading 'Promotion', for the entries "in the scale of Pay of Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs 2400 in PB-1", the entries "in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

- (B) under the sub-heading 'Limited Departmental Competitive Examination', for the entries " in the pay of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs 2400 in PB-1", the entries " in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadres/C/P/02/814 /D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Footnote:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O. 97 dated 22nd October 2012.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

का.नि.आ. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ग' स्टाफ कार चालक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, स्टाफ कार चालक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।